



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या-363-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-3-के/2000 टी0सी0-2018

दिनांक: 22.02.2020

कार्यालय झाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसके सहयोगी वितरण निगम लि0 में कार्यरत अवर अभियन्ताओं एवं उच्च स्तर के पदों पर कार्यरत समस्त समकक्ष कार्मिकों को विभागीय कार्य हेतु "स्वयं पोषित एवं प्रतिपूर्ति योजना" के अन्तर्गत लैपटॉप क्रय किये जाने हेतु निम्न नीति/प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :-

(i) कार्मिक द्वारा निम्नलिखित निर्धारित न्यूनतम तकनीकी विशिष्टी के अनुसार विभागीय कार्य हेतु लैपटॉप क्रय किया जायेगा, जिसका अधिकतम मूल्य रू0 45,000.00 (पैंतालिस हजार) जीएसटी व अन्य प्रभावी कर अतिरिक्त निर्धारित किया गया है। कार्मिक निर्धारित विशिष्टी से उच्च विशिष्टी के लैपटॉप को भी क्रय कर सकेंगे, परन्तु प्रतिपूर्ति की सीमा अधिकतम रू0 45000.00 एवं उस पर देय जीएसटी व अन्य कर ही होगी।

S.No.	Resource Type	Configuration
1.	Processor or CPU/cores	AMD/Intel (8 th Gen.), clock speed 1.6 GHz or above
2.	Memory	4GB DDR4 RAM expandable up to 16GB
3.	Storage	Hard Disk Drive (HDD) storage of capacity 1TB
4.	Battery	Lithium battery of minimum battery backup of 6 hours and 1 year warranty
5.	Display	15.6-inch LED display screen
6.	Operating System	Windows 10 Prof.
7.	Ports and Networking	2 USB 3.1, 1 HDMI, 1 SD card reader, 1 Audio-out, 1 LAN port, 1 Wi-Fi/Bluetooth Port and other necessary ports
8.	Touchpad	Touchpad with multi-touch gestures enabled
9.	Carry Case	Suitable Carry Case
10.	Warranty	3 Years
11.	Software/Security	Microsoft Office Professional with Security

(ii) इस आदेश की निर्गत तिथि के बाद कार्मिकों द्वारा विभागीय कार्य हेतु क्रय किये गये लैपटॉप ही "स्वयं पोषित एवं प्रतिपूर्ति योजना" के अन्तर्गत माने जायेंगे।

(iii) लैपटॉप को उत्पादनकर्ता अथवा उनके अधिकृत डीलर से ही क्रय किया जायेगा। लैपटॉप की तीन वर्ष की वारंटी होनी चाहिये। लैपटॉप क्रय करते समय इनवॉइस में सम्बन्धित निगम का नाम, जीएसटी एवं पैन संख्या, कार्मिक का नाम एवं ऑडिट संख्या, लैपटॉप की आई0पी0 संख्या अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिये।

(iv) लैपटॉप के क्रय मूल्य अथवा निर्धारित राशि (दोनों राशियों में से जो कम हो) की प्रतिपूर्ति तीन किशतों में निम्न विवरण के अनुसार की जायेगी :-

a) प्रथम किशत-क्रय मूल्य अथवा निर्धारित राशि (दोनों राशियों में से जो कम हो) का 40 प्रतिशत का भुगतान, क्रय बीजक प्रस्तुत करने पर (अधिकतम राशि सीमा रू0 18,000/- तथा जीएसटी व अन्य कर की सम्पूर्ण राशि) किया जायेगा।

b) द्वितीय किशत-क्रय मूल्य अथवा निर्धारित राशि (दोनों राशियों में से जो कम हो) का 30 प्रतिशत का भुगतान क्रय तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् (अधिकतम सीमा रू0 13,500/-) किया जायेगा।

c) तृतीय किशत-क्रय मूल्य अथवा निर्धारित राशि (दोनों राशियों में से जो कम हो) का 30 प्रतिशत का भुगतान क्रय तिथि से दो वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् (अधिकतम सीमा रू0 13500/-) किया जायेगा।

(v) स्थानान्तरण एवं प्रोन्नति की स्थिति में क्रय किया गया लैपटॉप संबंधित कार्मिक के पास ही रहेगा।

(vi) किसी भी कार्मिक द्वारा त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति/अन्य किसी कारण से विभागीय सेवा से हटने/समाप्त होने की अवस्था में तत्समय माह के अन्त में जो भी, लैपटॉप व अन्य पेरीफेरल की बुक वैल्यू में से हास घटाते हुए, के भुगतान पर लैपटॉप व पेरीफेरल उसको हस्तान्तरित हो जायेगा।

(vii) लैपटॉप चोरी/क्षतिग्रस्त होने पर संबंधित कार्मिक द्वारा स्वयं से दूसरा लैपटॉप क्रय किया जाएगा, जिस हेतु उसे शेष किश्त की ही प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(viii) इंटरनेट सेवा हेतु प्रतिदिन न्यूनतम 01 जीबी डाटा प्लान हेतु प्रतिमाह रू0 500.00 धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित कार्यालय द्वारा करायी जायेगी।

(ix) कॉमन कैंडर के कार्मिकों के एक निगम से दूसरे निगम में स्थानान्तरण पर अवशेष भुगतान क्रेता निगम द्वारा ही किया जायेगा एवं कार्मिक को लैपटॉप का पूर्ण हस्तान्तरण भी क्रेता निगम द्वारा ही किया जायेगा।

(x) यह योजना 31 मई, 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों पर लागू नहीं होगी।

(xi) लैपटॉप की प्रतिपूर्ति पूंजीगत व्यय मद (10.906) के अन्तर्गत की जायेगी।

(xii) इस आदेश के उपरान्त वितरण क्षेत्र में तैनात अवर अभियन्ताओं को एण्ड्रायड टैबलेट उपलब्ध करायें जाने हेतु निर्गत कारपोरेशन का कार्यालय-ज्ञाप सं0-2977-कार्य/चौदह-पाकालि/2018-3-के/2000 टी0सी0-2018 दिनांक 03.10.2018 स्वतः निरस्त हो जायेगा।


अध्यक्ष

संख्या :363-(1)-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-3-के/2000 टी0सी0-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को-कानपुर।
5. समस्त निदेशकगण (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/तकनीकी/वाणिज्य), समस्त डिस्काम।
6. अपर सचिव-I,II,III, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी निदेशक(लेखा एवं सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ को इस कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु (vi) के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश निर्गत करने हेतु प्रेषित।
8. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध), समस्त डिस्काम।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/अधीक्षण अभियन्ता (वितरण), समस्त डिस्काम एवं केस्को, कानपुर।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या-407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट-www.uppccl.org पर अपलोड करने हेतु।
13. कट फाइल।

आज्ञा से,


(आर0के0 श्रीवास्तव)
उप सचिव (कार्य)